बड़े तालाब में राजाभोज सेतु के पास बड़ी मात्रा में जलकुंभी एकत्र हो गई है। जिसे हटाने के लिए पोकलेन मशीन से प्रतिदिन कार्य कराया जा रहा है। जलकुंभी के कारण तालाब में प्रदूषण बढ़ गया है।

# नर्मदा और मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय मजबूत मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। डिंडौरी, पन्ना, रीवा, सतना, छतरपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

नर्मदा और मंदाकिनी जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्थिति को देखते हुए मैहर और डिंडौरी में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, जबकि डिंडौरी में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखे गए हैं। पन्ना जिले में लगातार बारिश के चलते शनिवार को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिले में केन, मिढ़ासन, व्यारमा और पतने नदी उफान पर हैं। तेंदुघाट बांध के पांच गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला बांध के दो गेट एक-एक मीटर खोलकर जल निकासी की जा रही है। मैहर में गुरुवार देर रात मर्जुआ नाले को पार करते समय एक ट्रक करीब सात फीट गहरे पानी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मुकुंदपुर चौकी प्रभारी नागेश्वर मिश्रा तैरकर ट्रक तक पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से रस्सी बांधकर ट्रक चालक राकेश साहू और क्लीनर इंद्रकमल द्विवेदी को सुरक्षित बाहर निकाला। सतना जिले में सेमरावल नदी का पानी पुल के ऊपर आने से सेमरिया मार्ग बंद हो गया है। कोठी क्षेत्र के पवैया विद्युत सब स्टेशन में बारिश का पानी भर गया। कोटर तहसील के अबेर गांव में अलहा तालाब की मेड़ टूटने से पानी बस्ती में पहुंच गया। सीधी जिले के रामपुर नैकिन क्षेत्र में भवरसेन पहाड़ से मिट्टी और पत्थर सड़क पर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। इसके कारण करीब 30 गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, दमोह, पन्ना, सीधी और सिवनी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में चार से आठ इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। प्रशासन ने नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

## राजधानी के 30 इलाकों में आज बिजली कटौती

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** राजधानी के करीब 30 इलाकों में शनिवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव कार्य किए जाने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी।

बिजली कंपनी के अनुसार हिनोतिया, भवानी धाम, रापड़िया, नरेला शंकरी, सागर एवेन्यू सहित कई प्रमुख इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले ही पूरा कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।

निर्धारित समय के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लक्ष्मी नगर, सुंदर नगर, रजत नगर, विवेकानंद कॉलोनी, कल्पना नगर, सहकारी परिसर और प्रभातम कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टेक्नोलॉजी पार्क, लेक पर्ल स्प्रिंग, मुस्कान परिसर, सागर एवेन्यू, इंडस पार्क, भवानी धाम फेस-1 और फेस-2, सुनीता टॉवर, संतोषी विहार और नरेला शंकरी सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

भावना परिसर और आसपास के इलाकों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। वहीं विवेकानंद परिसर, सोनिया विहार और अवंतिका फेस-3 क्षेत्र में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रापड़िया और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा हिनोतिया, रतनपुर सड़क, नरेला हनुमंत और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। बिजली कंपनी ने बताया कि यह कटौती आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण की जा रही है। कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

## विट्टल मार्केट 40 दुकान व्यापारी कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी का स्वागत

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** विट्ठल मार्केट 40 दुकान व्यापारी कल्याण समिति की नवीन कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। समिति के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने अध्यक्ष श्री अजय उपाध्याय 'मुन्ना भैया' को पुष्पगुच्छ भेंट कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर श्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित करीब 46 वर्ष पुराने विट्ठल मार्केट की पहचान व्यापारियों की मेहनत, एकजुटता और सहयोग से बनी है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी के सामने व्यापारियों के हितों की रक्षा, बाजार के विकास, बेहतर व्यवस्थाओं और व्यापारी एकता को मजबूत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

नई कार्यकारिणी सभी व्यापारियों को साथ लेकर बाजार के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगी। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, आवश्यक सुविधाओं का विस्तार और व्यापार के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना प्राथमिकता में होना चाहिए। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष अजय उपाध्याय, उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन, सचिव मनमोहन सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष मोलचंद देवनानी, उपकोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव मोहम्मद आबिद खान सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम में समिति के सदस्यों और व्यापारियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और व्यापारी हितों के संरक्षण तथा बाजार के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

## केन-बेतवा परियोजना से बदलेगा बुंदेलखंड का विकास : मुख्यमंत्री

**राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल:** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके क्रियान्वयन से बुंदेलखंड सहित मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। खजुराहो में परियोजना की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को पूरा कर रही हैं। वर्ष 2024 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और वर्ष 2030 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना से क्षेत्र का विकास तेज होगा और लोगों को सिंचाई, पेयजल तथा ऊर्जा सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि परियोजना से करीब 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। लगभग 44 लाख लोगों को 60 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के साथ ही शिवपुरी, दतिया, रायसेन और विदिशा सहित अन्य क्षेत्रों को भी परियोजना का लाभ मिलेगा। सागर जिले में बीना कॉम्प्लेक्स के माध्यम से 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से परियोजना को समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

### पीओएस मशीनें सक्रिय नहीं करने पर सहायक लेखापाल निलंबित

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** नगर निगम प्रशासन ने राजस्व वसूली प्रभावित करने और पीओएस मशीनों के संचालन में लापरवाही बरतने पर सहायक लेखापाल संजय सिंह परिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने शुक्रवार को जोन क्रमांक 19 का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन के सभी वार्डों में पीओएस मशीनें उपलब्ध नहीं मिलीं, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हो रही थी। जांच में सामने आया कि मशीनों को सक्रिय करने के लिए सहायक लेखापाल श्री परिहार को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने समय पर मशीनें सक्रिय कर वापस उपलब्ध नहीं कराईं। अधिकारियों की जांच में पता चला कि बैंक द्वारा मशीनें पहले ही सक्रिय बताई गई थीं, जबकि संबंधित जोन की एक मशीन निष्क्रिय थी। आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने बताया कि मशीनें 10 अगस्त को श्री परिहार को दी गई थीं, लेकिन उन्होंने करीब 10 दिन तक उन्हें अपने पास रखा। निगम प्रशासन ने माना कि संबंधित कर्मचारी ने महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरती और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। इसके बाद सहायक लेखापाल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। निगम ने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

### मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई

## खाद्य प्रतिष्ठानों पर 5.79 लाख रुपए का जुर्माना

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** शहरवासियों को शुद्ध, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

विशेष म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री तरुणेन्द्र प्रताप सिंह के समक्ष 79 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें कुल 5 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत व्यवस्थाओं की जांच की गई।

मोबाइल कोर्ट ने शुक्रवार को होशंगाबाद रोड स्थित बंसल वन क्षेत्र के मेपल ट्री होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों और डीबी मॉल की विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने जांचे गए। साथ ही प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की गई।

निरीक्षण में निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिलने पर निगम अमले ने प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए। मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित मामलों में जुर्माना अधिरोपित किया गया। कार्रवाई के दौरान निगम के उपायुक्त हीरेन्द्र सिंह कुशवाह, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा निगम के स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निगम प्रशासन ने बताया कि मोबाइल कोर्ट के माध्यम से यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

### निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कई क्षेत्रों से हटाए अवैध कब्जे

**नप्र, भोपाल:** नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए नाली के ऊपर बनाई गई अवैध दीवारें, चबूतरे, छप्पर और अन्य निर्माण हटाए गए। इसके अलावा दुकानों के बाहर रखा सामान, सड़क और फुटपाथ पर लगी चाय-नाश्ते, सब्जी, फल, कपड़े और खिलौनों की दुकानों सहित बड़ी संख्या में ठेले, गुमठी, पान पार्लर, काउंटर, बोर्ड, टेबल-कुर्सी आदि हटाए गए।

निगम टीम ने कोलार, दामखेड़ा, चूना भट्टी, नेहरू नगर, भदभदा, नीलबड़, जवाहर चौक, रचना नगर, रायसेन रोड, अशोका गार्डन, कमला पार्क, रेतघाट, कोहेफिजा, करोंद और हाउसिंग बोर्ड सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की।

अभियान के दौरान आकृति गार्डन नेहरू नगर, करोंद विश्वकर्मा नगर और रायसेन रोड क्षेत्रों में अवैध चबूतरे एवं निर्माण हटाए गए। नीलबड़ खुदागंज में नाली पर रखी फर्शियां, करोंद हाउसिंग बोर्ड में सड़क पर रखी भवन निर्माण सामग्री और रचना नगर में अवैध छप्पर हटाया गया। निगम अमले ने आवागमन में बाधक दो आइसक्रीम गाड़ियां और एक पान पार्लर भी हटाया।

### महापौर ने किया छात्र संसद 2026 का शुभारंभ

**नप्र, भोपाल:** महापौर श्रीमती मालती राय ने पीपुल्स यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में छात्र संसद 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई।

महापौर ने युवाओं के सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित छात्र संसद की सराहना की।

**M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**
REGIONAL OFFICE, BHOPAL (M.P.)
Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal,
Phone: (O) +91-755-2420301-2-3
Dated : 21.08.2026

**NOTICE INVITING TENDERS**

Online tenders are invited through the M.P. E-Procurement System Portal for the following works :-

| NIT | Subject | PAC Amount |
|---|---|---|
| 29 | Development of Truck Parking in New Area-II at Industrial Area, Mandideep District Raisen (M.P) | 4,06,00,000.00 |
| 30 | Supply and Installation of Signage Boards at Sports Park Industrial Area Mandideep, District Raisen (M.P.) | 44,51,472.00 |

Tender documents along with detailed terms and conditions can be downloaded from **mptenders.gov.in** shortly.
M.P. Madhyam/127691/2026 **EXECUTIVE ENGINEER**

## ग्रामीण स्कूलों की व्यवस्थाओं का सचिव डॉ. गोयल ने किया निरीक्षण

**नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल:** मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल ने विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल-1, माध्यमिक शाला धनिया खेड़ी और प्राथमिक शाला धनिया खेड़ी का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डॉ. गोयल ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कर विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्थाओं, विभागीय योजनाओं के लाभ और स्कूल की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, सुविधाओं और समस्याओं के संबंध में चर्चा की।

सचिव डॉ. गोयल ने शिक्षकों से भी संवाद कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव और अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासकीय योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाना और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार करना है। इस दौरान विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं सदस्य सचिव, जिला वॉश तकनीकी समिति, जिला पंचायत सीहोर (म.प्र.**
**पुराना कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर (म.प्र.) पिन कोड: 466001**
Mobile No. 9425671135 eeressehore@mp.gov.in
पत्र क्र. 2201 /निविदा/ग्रायासे/2026 सीहोर, दिनांक : 12.08.2026

**निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 07/2026-07**

जिला वांश तकनीकी समिति, सीहोर द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण नल जल योजनाओं के वृहद मरम्मत, रख-रखाव एवं स्रोत तथा पाइप लाइन विस्तार कार्यों हेतु कंडिका 14 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एजेंसियों को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध (Empanel) करने के लिए पात्र आवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्रं. | जिले का नाम | जिले में जनपद पंचायतों की संख्या | सूचीबद्ध शुल्क (रू.) | निविदा दस्तावेज शुल्क (रू.) | सूचीबद्धता की अवधि (माह) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सीहोर | 05 | 50.000 | 1.000 | 24 |

**महत्वपूर्ण जानकारी**
1 निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज मध्यप्रदेश शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://mptenders.gov in) से देखे एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2 निविदा दस्तावेज शुल्क एवं सूचीबद्धता शुल्क मध्यप्रदेश शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी।
3. निविदा से संबंधित बैठक, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तथा अन्य जरूरी तारीखों की जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देखी जा सकती है।
4. किसी भी कारण से आवेदन जमा करने में होने वाली देरी के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
5. जिले के प्रत्येक जनपद में अधिकतम 5 निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
6. एक निविदाकार को जिले के अधिकतम 2 जनपदों में ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
7. निविदाकारों को किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
8. उपरोक्त निविदा के निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किए जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र क्रय करने की दिनांक 27.08.2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 11.09 2026 शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। निविदा कवर 'अ' (Cover-v) ऑनलाइन ही जमा (Submit) / अपलोड करने होंगे। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
9. संशोधन संबंधी सभी सूचनाएं केवल वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएंगी। पृथक से पेपर में प्रकाशित नहीं की जाएंगी। समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें। वेबसाइट में किसी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(ए.के. पंथी)
कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं सदस्य सचिव, जिला वॉश तकनीकी समिति
जिला पंचायत, सीहोर (म.प्र.)
जी-17409/26

**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
कार्यालय क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)

**लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत् सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है मेसर्स मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) द्वारा 414/10 जबलपुर-भोपाल रोड (NH-46) से 22/6 भोपाल-देवास रोड (SH-28) तक (कुल लंबाई 35.611 किमी.) हेतु पेव्ड सोल्डर फोर लेन साउथ-वेस्टर्न भोपाल रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी पर्यावरण स्वीकृति संबंध में लोक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक-सार का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर भोपाल, कार्यालय जिला पंचायत भोपाल, रतनपुर सड़क, सेमरी कलां, पिपलिया केशो, गुराडीघाट वार्ड क्र. 84 नगर पालिक निगम भोपाल, ग्राम पंचायत समसगढ, शाईस्ता खेड़ी, फन्दा कलां, सरवर, मूंडला, बोरखेड़ी, टीलाखेड़ी, आंवला, नांदनी, भानपुर केकडिया जनपद पंचायत जिला भोपाल एवं ग्राम पंचायत महावडिया, कालापानी, बोरदा तहसील कोलार जिला भोपाल, कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक-3, राजयोग भवन के पास, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, भोपाल में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। उक्त परियोजना के कार्यपालक-सार की जानकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बेवसाइट **www.mppcb.mp.gov.in** पर भी उपलब्ध है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों (Concerned Regulatory Authority)/क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2026 दिन शुक्रवार को 11:00 बजे से ग्राम आमला (आंवला) तहसील हुजूर जिला भोपाल में आयोजित की गई है, जिसमें भी सुझाव विचार, टीका टिप्पणी अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
म.प्र. माध्यम/127687/2026 **क्षेत्रीय अधिकारी**